01/12/25 पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष उप०।
AEG अनुतोष प्रार्थना पत्र धारा 212 अन्तर्गत
RT Act 1955 सुनी गई। वकील वादी
ने form No-3 के साथ दस्तावेजात
सहला, मृत्यु प्रमाण पत्र कालूखां, गनीखां,
TDR पत्र, राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण
पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक डायरी, पैन कार्ड
पहचान पत्र, आधार कार्ड, 4 फोटो प्रतियां
पेश की। जो शामिल मिसल हो साथ ही

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहलमद हुक्म की तामील में जारी
वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान हस्तान्तरण नहीं करेंगे [initials]	वकील प्रतिवादी ने फिहरिस्त No. 3 के साथ दस्तावेजात – तहसीलदार बिलाड़ा से सूचना की प्रति, मौ. 1 मूल फार्म व नामनूरेशन को परेरिव की खाद बीज रसीद, 1975 की काळू खां की वोटर लिस्ट, गनी खां/अली खां की टीसी, सुलेमान खां के राशन कार्ड, जॉब कार्ड व अन्य दस्तावेजात पेश किये जो शामिल मिसल हो। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थिया के पिता की सम्पत्ति है तथा पुत्री होने के नाते हमारा पुश्तैनी सम्पत्ति में हक अधिकार बनता है। जिसे हम प्राप्त करने के अधिकारी हैं वादग्रस्त आराजी बन्दोबस्त सेटलमेंट से हमारे पिता/दादा काळू खां के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी। पिता/दादा की मृत्यु के बाद हमारे नाम दर्ज होनी थी लेकिन राजस्व अधिकारियों की अप्रार्थीगण के साथ मिलीभगत के कारण हमारा नाम दर्ज नहीं किया जाकर सम्पूर्ण भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी जो विधि विरुद्ध होने से आरम्भतः शून्य है साथ ही वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में जारी किये तहसीलदार नामान्तरकरण सं. 100 बरवाड़ भरा गया नामान्तरकरण बिलाड़ा पूर्णतया स्वीकृत तहसीलदार त्रुटियों पर आधारित होकर आरम्भतः शून्य दस्तावेज है क्योंकि काळू खां की मृत्यु 27.09.1969 को हो चुकी थी लेकिन नामान्तरकरण सं. 100 विवादित बरवाड़ व नामान्तरकरण दिनांक 20.10.1972 को दर्ज किया जाकर काळू खां/अमेद खां के जीते जी स्वीकृत किया गया जो प्रथम दृष्टया पूर्णतया फर्जी दस्तावेज है क्योंकि जीवित रहते बेटों के नाम कोई खातेदार बरवाड़ नहीं करता न कोई बेचान/दानपत्र/वसीयत हुई लेकिन नाम	

FORM NO. 123 पंजिका संख्या 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3) (आदेश 24 नियम 7, आदेश 32 नियम 3)

ORDER SHEET आदेश पत्र

Court of के न्यायालय में .... CNR NUMBER सी.एन.आर संख्या ....

Kind of Case प्रकरण का प्रकार .... at पर ....

Number of Case प्रकरण की संख्या ....

.... Year वर्ष ....

Versus बनाम ....

Date दिनांक	Order with Initials of Presiding Officer पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश	Brief Note of Compliance of the order आदेश की पालना का संक्षेप टिप्पण
1	2	3
	दर्ज किया जाना संशय उत्पन्न करता है साथ ही मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार कालू खां की मृत्यु 27.07.1969 को हो चुकी फिर 1972 में कालू खां द्वारा अपने बेटों के नाम बंटवारा कैसे करवा सकता है साथ में तहसीलदार फलौदी के पत्रांक RTI/2024/597 दिनांक 24.4.24 द्वारा भी स्पष्ट किया गया कि कार्यालय के रिकॉर्ड में उक्त बंटवारा पत्र का नामान्तरकरण किया गया लेकिन उक्त बंटवारे की प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है इससे स्पष्ट है कि ना. सं. 100 द्वारा 1972 में किये गया बंटवारा पूर्णतया कूटरचित विधि शून्य दस्तावेज है/इसी के साथ गनी खां कालू खां के पुत्र सुलेमान का गोदपुत्र है तथा सम्पूर्ण दस्तावेजों में गनी खां के पिता का नाम सुलेमान खां दर्ज है साथ में दिनांक 05.06.2017, गनी खां का मृत्यु प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत मलार का परिवार कार्ड सं. 38841, जाति प्रमाण पत्र सं. 1855/18.11.2009, 24711, मूल निवास प्रमाण पत्र क्रमांक 1854/18.11.2009, आयकर विभाग SBBJ बैंक डायरी खाता सं. 7717, परिवार कार्ड सं. BROPK6316B, राशन कार्ड क्रमांक RJ/24/181/078156, पैन कार्ड क्रमांक 311, मतदाता पहचान पत्र सं. 3068 आदि के अवलोकन से आधार कार्ड क्रमांक 454217156 गनी खां सुलेमान खां का पुत्र है यह स्पष्ट है कि गनी खां सुलेमान खां की सम्पत्ति के अपने पैतृक हक तथा सुलेमान खां की अधिकार रखता है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है क्योंकि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण को पैतृक रूप से कालू खां से प्राप्त हुई है	

R.T.O.

सहायक कलक्टर एवं ... अधिकारी (जोधपुर) ... (जोधपुर)

ORDER SHEET (Subservient) आदेश पत्र (पश्चात्वर्ती)

CNR NUMBER
सी.एन.आर संख्या ....

Number of Case प्रकरण की संख्या .... Year वर्ष ....

.... Versus बनाम ....

Date दिनांक	Order with Initials of Presiding Officer पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश	Brief Note of Compliance of the order आदेश की पालना का संक्षेप
1	2	3
	प्रार्थीया डालू खाँ की जायदाद संयुक्त है, सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में है, वर्तमान में वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज रिकॉर्ड है तथा दर्ज नाम का दुरुपयोग करते हुए अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी को खुर्द-बुर्द करने पर आमादा है जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी जिसका रुपयों पैसों में मूल्यांकन संभव नहीं है अतः अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि के संबंध में अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से यथास्थिति कायम रखने हेतु ता फैसला मूल वाद पाबंद करावें। वकील प्रतिवादी की बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी ने बताया कि प्रार्थीया का वादग्रस्त आराजी से कोई संबंध नहीं है तथा वादग्रस्त डालू खाँ ने अपने जीवनकाल में ही विधि अनुसार आराजी का अपने जायदाद पुत्रों में हस्तान्तरण कर दिया था। मुस्लिम विधि के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीते जी अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति का स्थानान्तरण कर सकता है तथा उपयोग उपभोग कर सकता है यही डालू खाँ ने अपने जीते जी कर लिया। वकील प्रार्थी का यह कथन पूर्णतया गलत व तथ्यहीन है कि डालू खाँ की मृत्यु 27.09.1969 को हो चुकी थी यह मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 01.12.2022 को ग्राम पंचायत से मिलीभगत करके बनाया है क्योंकि मृत्यु के 53 साल बाद जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता को स्वीकार नहीं किया जा सकता साथ में 1972 में तहसीलदार बिलाड़ा के समक्ष अपनी आराजी के बंटवारे हेतु प्रार्थना पत्र डालू खाँ के स्वयं ने पेश किया, 29.10.1976	

मुद्रक ट्रेडर्स, एमजीएच रोड, जोधपुर 2623675

P.T.O.

ORDER SHEET (Subservient) आदेश पत्र (पश्चात्वर्ती)

CNR NUMBER .... सी.एन.आर संख्या

Number of Case प्रकरण की संख्या .... Year वर्ष ....

Versus बनाम ....

Order with Initials of Presiding Officer पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश	Brief Note of Compliance of the order आदेश की पालना का संक्षेप टिप्पण
2	3
को ओपरेटिव बैंक में रसीद कालू खां के नाम काटी गई अर्थात 1976 में कालू खां स्वयं जीवित था. साथ में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (बिलाड़ा) की निर्वाचक नामावली 1.1.1975 भाग सं. 02 क्रम सं: 138 पर कालू खां का नाम दर्ज है जिससे स्पष्ट है कि कालू खां की मृत्यु 1976 के बाद हुई। नां. सं. 100 बेरवाड़ के सम्बन्ध में तहसीलदार बिलाड़ा के पत्रांक भूमि बेरवाड़/RTI/2023/1358/दिनांक 28.10.2023 के अनुसार "ग्राम मसार दिनांक 20.10.1972 को तहसील क्षेत्र बिलाड़ा का ग्राम था व वर्ष 1982 से तहसील क्षेत्र भोपालगढ़ व वर्ष 2013 से तहसील क्षेत्र पीपाड़ शहर का ग्राम है। तहसील कार्यालय बिलाड़ा में उपलब्ध अभिलेख में आप द्वारा वांछित शेड्यूल फार्म व बेरवाड़ा इकरारनामा की खोज बीन करने पर उक्त रिकॉर्ड इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं होना पाया गया। तत्कालीन समय व्यवस्था के अनुसार वर्ष 1972 में जो आपसी रजामंदी से भूमि बेरवाड़ किये जाते थे वो राजकीय मुद्रणालय से छपे शेड्यूल फार्म एवं एक, दो, तीन अथवा पांच रुपए के गैर अदालती स्टाम्प पर इकरारनामे लिखे जाते थे। बेरवाड़ा स्वीकृति हेतु सम्बन्धित राजस्व अधिकारी (TDR) को प्रस्तुत करने पर बेरवाड़ा का इकरारनामा को सत्यापित कर बेरवाड़ में सम्मिलित किसी एक काश्तकार को लौटा दिया जाता था क्योंकि उस समय फोटो कॉपी की व्यवस्था नहीं थी तथा शेड्यूल फार्म सम्बन्धित हल्का पटवारी को यथाविधि शेड्यूल फार्म के राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद हेतु मूल ही भिजवा दिया जाता था।" इस प्रकार स्पष्ट है कि मूल शेड्यूल कालू खां व अन्य	

P.T.O.

...., एमजीएच रोड, जोधपुर 2623675, 2615421

ORDER SHEET (Subservient) आदेश पत्र (पश्चात्वर्ती)

CNR NUMBER
सी.एन.आर संख्या ....

Number of Case प्रकरण की संख्या .... Year वर्ष ....

.... Versus बनाम ....

Date दिनांक	Order with Initials of Presiding Officer पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश	Brief Note of Compliance of the order आदेश की पालना का संक्षेप
1	2	3
	तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होना दिया था तथा मूल ही पटवारी हल्का को भेज दिया इसी लिये तहसील कार्यालय में यह रिकार्ड उपलब्ध नहीं है इसी आधार पर नामा. नं. 100 भरा गया तथा तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा खारिज किया गया जो नियमानुसार विधि अनुरूप सही दस्तावेज है। अतः प्रार्थी वकील का यह कथन स्वतः गलत सिद्ध होता है। साथ ही गनी खां सुलेमान खां का जायंदा पुत्र नहीं था, अली खां का जायंदा पुत्र था। सुलेमान खां के दो पुत्रियां थी तथा अली खां के पुत्र गनी खां को गोद माफिक रीति रिवाज बशर्ते सुलेमान की सेवा हेतु लिया गया था परन्तु गनी खां ने सुलेमान की जीते जी सेवा चाकरी नहीं की तथा वर्तमान में भी उनकी संतान सुलेमान खां की पत्नी व पुत्रियों की सेवा चाकरी नहीं करता सिर्फ संपत्ति हड़पने की नीयत से सुलेमान खां का पुत्र बन रहा है। साक्ष्य में गनी खां की रा.उ.मा.वि. चोपड़ा शहर की टी.सी. की प्रति पेश की जिसमें मोहम्मद गनी पुत्र अली खां लिखा हुआ है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बिलाड़ा की निर्वाचक नामावली भाग 6: का क्रमांक 167 पर गनी खां / अली खां दर्ज है सुलेमान खां का परिवार राशन कार्ड ग्राम पंचायत मलार जिसमें गनी खां का नाम दर्ज नहीं है परिवार कार्ड 86-87 ग्राम मलार में पुत्रियों के नाम दर्ज है लेकिन पुत्र का नाम दर्ज नहीं है। सुलेमान खां का जॉब कार्ड में भी गनी खां का नाम दर्ज नहीं है (सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011) में भी गनी खां का नाम सुलेमान खां के पुत्र के रूप में परिवार में दर्ज नहीं है,	

P.T.O.

G.P.Ju.

FORM No. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

Court of .... CNR NUMBER ....

Kind of the Case .... at ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	साथ ही सुलेमान खां की पत्नी सीमा खान ने राज्य मानवाधिकार आयोग को पेश परिवाद में यह कथन किया कि मेरे कोई जायदा पुत्र संतान नहीं है केवल पुत्रियां ही है तथा मेरे पति का देहान्त हो चुका है। विधवा वृद्ध औरत को रहवासीय मकान से बेदखल पोते बेदखल कर रहे हैं जिसे तुरन्त प्रभाव से खाली करवायाजाकर वृद्ध एवं विधवा महिला को न्याय दिलावें। साथ ही ACJM न्यायालय पीपाड़ शहर में अप्रार्थी सं. 01 द्वारा अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 482, 201, 120B भा.द.सं. में पेश इस्तगासा जिसके अनुसार कालू खां की मृत्यु 27.12.1976 को हुई तथा अभियुक्तगण ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जिसमें मृत्यु तारीख 27.09.1969 बतायी जिस पर पुलिस थाना पीपाड़ में मुकदमा दर्ज करवा कर कार्य अनुसंधान नतीजा न्यायालय हाजा में पेश किये जाने का निवेदन किया है। इस प्रकार उपरोक्तानुसार यह साबित है कि वादग्रस्त आराजी से प्रार्थीगण का कोई लेना देना नहीं है, वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण का कोई हक अधिकार निहित नहीं है न ही सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है मामला प्रथम दृष्टया भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है क्योंकि कालू खां ने 1972 में स्वयं अपने हाथों	

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	से अपनी सम्पूर्ण आराजी का विधिवत् बंटवारा कर अप्रार्थीगणों के पूर्वजों को हस्तान्तरित कर दी तथा आज 56 साल बीतने के बाद प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में कैसे हो सकता है। [illegible] ही प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है अतः अप्रार्थीगण को सिर्फ हैरान परेशान करने की नीयत से पेश किया गया प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है इसीलिये प्रार्थना पत्र मय हर्जे के साथ खारिज फरमावें। साथ ही वकील अप्रार्थीगण ने न्यायालय में कथन किया कि हम वादग्रस्त आराजी का बेचान हस्तान्तरण नहीं करेंगे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।	
	हमने वकील उभयपक्ष को सुना। वकलाय द्वारा पेश समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन अवलोकन किया गया पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया यह बात साबित होती है कि प्रार्थीगण कालूखां की लेवाल/वारिसान है तथा वादग्रस्त आराजी में हक अधिकार रखते है। कालूखां की मृत्यु तारीख खा. नं. 100, बंटवारा इकरारनामा आदि के बिन्दु मूल वाद में तय होंगे। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 26.04.2022 में न्यायालय हाजा के निर्णय के विरुद्ध अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण डिक्री सम्मत आदेश हेतु प्रतिप्रेषित	

[signature and stamp: ... अधिकारी ... (जोधपुर)]

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	किया तथा वादग्रस्त आराजी में से ख० नं० 1004, 1013/1, 901 का बेचान हस्तान्तरण नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किया। मिसल का अवलोकन किया गया। सम्पूर्ण बहस बाद यह निर्विवाद तथ्य आया कि प्रार्थीगण कालू खाँ के वारिसान है तथा वादग्रस्त आराजी में हक अधिकार रखते हैं प्रक्रिया का निर्णय का बिंदु भी प्रार्थीगण साबित करने में सफल रहे। वादग्रस्त आराजी का आगे बेचान हस्तान्तरण होने से वाद की बहुलता बढ़ेगी तथा विवाद बढ़ेगा साथ में अप्रार्थीगण ने भी न्यायालय में लिखित कथन किया कि हम वादग्रस्त आराजी का बेचान हस्तान्तरण नहीं करेंगे। अतः उपर्युक्त विवेचनोपरांत एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि ग्राम शेखनगर पटवार क्षेत्र मलार तहसील पीपाड़ शहर के ख० नं० 840, 845, 1003, 931, 943, 959, 1020, 941, 920, 1004, 1013/1, 901 तथा ग्राम नाथूनगर पटवार क्षेत्र सालवा खुर्द के ख० नं० 952 में तादफैसला मूल वाद राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखेंगे उभयपक्ष इसके पाबंद रहेंगे। उभयपक्ष कोई वादग्रस्त आराजी में एक-दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी ना तो स्वयं करेंगे ना किसी अन्य से करवायेंगे साथ ही उभयपक्ष कोई वादग्रस्त आराजी का बेचान हस्तान्तरण नहीं करेंगे ना ही	

उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	किसी प्रकार का पक्का निर्माण करेंगे। अतः आदेश की अस्थायी निषेधाज्ञा ता फैसला मूल वाद जारी की जाती है। पालना हेतु TDR थाना रायसर/SHO थाना रायसर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।	